न्यायालयः— (............) .... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा जिला— कोरबा छ0ग0

आपराधिक प्र0 क्र0 — 2693/22

//निर्णय//

(आज दिनांक 13/12/22 को घोषित)

1. आरोपीगण को धारा 36 (च) 1 छ0ग0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण पत्रक में अपराध विवरण अपराध की विशिष्टियों के संबंध में तैयार कर उसे पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने स्वेच्छापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया है। आरोपी की स्वीकारोक्ति अंकित किया गया है। आरोपी की स्वीकारोक्ति एवं अन्य अभिलेखगत साक्ष्य के आधार पर उसे धारा 36 (च) 1 छ0ग0 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोष सिद्ध किया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दंडित किये जाने पर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाना संभावित है। अतः आरोपी को धारा 36 (च) 1 छ0ग0 आबकारी अधिनियम के अपराध हेतु रूपये 1000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिकम किये जाने पर उसे ....10.......... के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया जाता है।

प्रकरण में जप्त शुदा मदिरा व अन्य मूल्यहीन संपत्ति को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावें तथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही किया जावें।

निर्णय दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(हस्ताक्षर)
(............)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा जिला—. कोरबा)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(हस्ताक्षर)
(............)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा जिला—. कोरबा)